न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व पुर्नावलोकन आवेदन पत्र सं. 47/2018

प्रार्थीगण–

1. रहमान खां पुत्र उरसा खां
2. मोहम्मद खां पुत्र मांगीना खां
3. रमजान खां पुत्र लतीफ खां
4. इलियास पुत्र सहीदाद खां
5. शाहमीर पुत्र महेन्द्र खां

जाति मुसलमान निवासी कंटल का पार, तहसील रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

ग्राम पंचायत जरिये सरपंच कंटल का पार

राजस्व पुर्नावलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 86 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक : प. 12(3)(131)/राज/2009/1373 दिनांक 08.02.2012 जो मौजा कंटल का पार मे आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि बाबत इस कार्यालय द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक : 26/02/2019

प्रार्थीगण की ओर से यह पुर्नावलोकन आवेदन पत्र इस कार्यालय द्वारा मौजा कंटल का पार की आबादी भूमि विस्तार बाबत जारी आदेश क्रमांक : प. 12(3)(131)/राज/2009/1373 दिनांक 08.02.2012 के विरूद्ध धारा 86 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 के अन्तर्गत दिनांक 12.07.18 को प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत आवेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत कंटल का पार की मांग एवं प्रस्ताव पर तहसीलदार रामसर की अनुशंषा पर मौजा कंटल का पार के खसरा नम्बर 64/4 नवीन खसरा नम्बर 120/4 रकबा 212–04 बीघा भूमि किस्म गै.मु. गोचार मे से रकबा 05–00 बीघा भूमि प्रस्तावित नक्शे अनुसार आबादी विस्तार हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8821 दिनांक 06.10.2009 के द्वारा आवंटित की गई थी। उक्त आदेश के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा आवंटित भूमि मौके पर खाली होने तथा राजकीय कार्यालय/भवनो के पास होने से बसने वाले लोगों की होने वाली असुविधा को देखते हुए तहसीलदार रामसर द्वारा आवंटित भूमि की इसी खसरे मे तरमीम दुरूस्ती करने का प्रस्ताव भिजवाते हुए उपखण्ड अधिकारी रामसर से निवेदन किया गया। इस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.07.2011 के द्वारा इस कार्यालय स्तर से आवंटित भूमि के प्रस्तावित नक्शे मे तरमीम की शुद्धिकरण हेतु स्वीकृति चाही गई, जिस पर प्रश्नगत आदेश दिनांक 08.02.2012 के द्वारा प्रदान की गई। इस आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण द्वारा यह पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रश्नगत आदेश को निरस्त कर पूर्व आदेश दिनांक 06.10.2009 के द्वारा राजस्व अभिलेख मे तरमीम यथावत रखे जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर इस पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण मे हुए विलम्ब को क्षमा कर प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया गया।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रश्नगत आदेश से सम्बन्धित इस कार्यालय की पत्रावली को अभिलेखागार से प्राप्त कर वास्ते अवलोकन हमफीता किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा कंटल का पार के खसरा नम्बर 64/4 रकबा 212–04 बीघा गैर मुमकीन गोचर मे से 05–00 बीघा भूमि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर तहसीलदार रामसर की अनुशंषा पर जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा आदेश दिनांक 06.09.2009 के द्वारा आवंटित की गई तथा प्रस्तावित नक्शे मे अंकन अनुसार राजस्व अभिलेख मे अमलदरामद करने के निर्देश जारी किये गए। इस आदेश के अनुसरण मे राजस्व अभिलेखों मे जरिये नामान्तरकरण अमलदरामद कर आवंटित भूमि के नये खसरा नम्बर 120/4 कायम किये गये एवं नक्शा लट्टा ट्रेस मे अलग से तरमीम अंकित कर पालना प्रेषित की गई। इसके पश्चात पंचायत चुनाव सम्पन्न हो जाने पर नव निर्वाचित सरपंच द्वारा अपने निजी हितों की स्वार्थपूर्ति हेतु आवंटित भूमि की तरमीम गांव से 1 कि0मी0 दूर इसी खसरे मे दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार रामसर से निवेदन किया। इस पर तहसीलदार रामसर द्वारा तरमीम शुद्धिकरण का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी रामसर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चुंकि उक्त ग्राम पंचायत की

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आबादी हेतु नक्शा मे तरमीम का अंकन इस कार्यालय के आदेश के अनुसरण मे किया गया था ऐसे मे उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस कार्यालय से स्वीकृति चाही गई जो आलौच्य आदेश दिनांक 08.02.2012 के द्वारा जारी कर दी गई। इस आदेश के जारी करने मे विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की गई है, ऐसी स्थिति मे उक्त आदेश को रिव्यु किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सरपंच द्वारा गांव की मुख्य आबादी एवं जनसुविधाओं को दरकिनार कर अपने निजी हित को साधने के लिए निर्जन स्थान पर नवीन तरमीम प्रस्तावित की गई थी। तरमीम दुरूस्ती करने का अधिकार भू–अभिलेख अधिकारी के रूप मे उपखण्ड अधिकारी को है, जो राजस्व अभिलेखों मे त्रुटिवश/भूलवश/लिपिकीय त्रुटि से अंकन को अथवा पक्षकारों की सहमति से दुरूस्त कर सकता है। हस्तगत प्रकरण मे सरपंच ग्राम पंचायत एवं हल्का पटवारी ने तहसीलदार रामसर को धोखे मे रखते हुए गलत आधारों पर तरमीम दुरूस्ती का आदेश प्राप्त किया है ऐसी स्थिति मे उक्त आदेश को रिव्यु किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी द्वारा तरमीम दुरूस्त करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत मे वार्ड पंचों की राय के बिना अपने निजी फायदे के लिए प्रस्तुत किया जिसकी जानकारी आम जनता को तत्समय नही हुई तथा जानकारी होने से अन्दर मयाद यह रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा कर उपर्युक्त उल्लेखित तथ्यों के आधार पर स्वीकार फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध यह मामला एकपक्षीय सुना गया।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत कंटल का पार हेतु आबादी भूमि आवंटन के मूल आदेश दिनांक 06.10.2009 मे प्रस्तावित भूमि की नक्शा मे तरमीम का दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी सरंपच ग्राम पंचायत कंटल का पार के निवेदन पर तहसीलदार रामसर द्वारा प्रकरण बनाकर उपखण्ड अधिकारी रामसर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा इस कार्यालय के मूल आदेश को रिव्यु कर तरमीम शुद्धीकरा किये जाने की स्वीकृति चाही गई। इस कार्यालय द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर तहसीलदार रामसर की अनुशंषा पर मूल आवंटन आदेश को रिव्यु करते हुए आलौच्य आदेश दिनांक 06.02.2012 के द्वारा आवंटन आदेश के संलग्न प्रस्तावित नक्शा मे तरमीम के अंकन की अवस्थिति को परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इस प्रकार इस रिव्यु आवेदन मे आलौच्य आदेश ही ग्राम पंचायत की प्रार्थना पत्र रिव्यु द्वारा जारी किया गया है, ऐसे मे रिव्यु आदेश को पुनः रिव्यु किये जाने का कोई विधिक प्रावधान नही है। यदि प्रार्थीगण इस रिव्यु आदेश से असंतुष्ट है तो उन्हे सक्षम न्यायालय के समक्ष इस आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी प्रस्तुत कर चाराजोही की जानी चाहिए। ऐसे मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया यह पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

8. आदेश आज दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर